—: न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 3/2025

उनवान

1. अंकित अग्रवाल
2. अमित अग्रवाल पि. परमेश्वर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी 69 ए सदर बाजार, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री रवि चौधरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :— जरियें जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 30/7/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के वंर्किग खसरा नम्बर 367 हाल खसरा नम्बर 444 रकबा 0.30 की आराजी प्रार्थीगण की कयशुदा खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रार्थीगण क्रय दिनांक से ही काबिज काश्त चले आ ररहे है। आराजी मुतनाजा का वंर्किग मानचित्र मौके के अनुसार सही था। वंर्किग खसरा नम्बर 367 के हाल खसरा नम्बर 444 के समीप स्थित खसरा नम्बर 444/1334 रकबा 0.05 का रकबा जमाबंदी अनुसार सही है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 44 का रकबा कम करते हुये सिवायचक खसरा नम्बर 444/1334 का रकबा अधिक कर दिया। हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नमबर 44 को छोटा कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त कर तहसीलदार नसीराबाद को दुरूस्ती के आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर 367 के हाल खसरा नम्बर 444, 444/1334 व 443 बने है। हाल खसरा नम्बर 444/1334 का रकबा मानचित्र में अधिक है। खसरा नम्बर 444 का रकबा प्रभावित हुआ है। हाल राजस्व मानचित्र को मोके व जमाबंदी के रकबे के अनुसार दर्ज किया जाना है। साथ ही पटवारी हल्का की मोका रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान [illegible] प्रार्थी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बारापत्थर [illegible] प्रार्थीगणकी खातेदारी में है। हाल खसरा नम्बर 444/1334 रकबा 0.05 [illegible] है। उक्त दोनो खसरा नम्बर वंर्किग खसरा नम्बर 367 से बने है। जमाबंदी में उक्त दोनो खसरा नम्बर का [illegible] मोके

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:18 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अनुसार सही अंकित है। हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण का खसरा नमबर 444 का रकबा कम व सिवायचक खसरा नम्बर 444/1334 का रकबा अधिक कर दिया हैं। राज. पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब व हल्का पटवारी की दिनांक 04.07.2025 की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त दोनो खसरा नम्बर को राजस्व मानचित्र में रकबे के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित होगा। उक्तानुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में खण्डन के कोई तथ्य नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र को दुरूस्त करने से खातेदारी अधिकार व भूमि के रकबे पर कोई परिवर्तन नही होना है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण मानचित्र दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र**"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 444 व 444/1334 के हाल व वंर्किग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:04:18 IST
Reason: SelfAttested